झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–264 / 2019

डॉ0 विजय प्रताप सिंह ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग, रांची
3. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, रांची
4. बिहार राज्य
5. सचिव, पशुपालन और मत्स्य संससाधन विभाग, पटना
6. महालेखाकार, बिहार
7. महालेखाकार, झारखण्ड ..... विपक्षी गण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री कामदेव पांडे, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिए :– एस0सी0 (खान)–II के ए0सी0

03 / 31.01.2020 पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ता डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–2835 / 2017 की पुनःस्थापन चाहता है, जिसे 26.09.2018 के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के लिए डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि रिट याचिका सेवानिवृति के बाद के लाभों के लिए दावा करने से संबंधित है। उस दिन, चूंकि, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता किसी अन्य अदालत में मौजूद थे, इसलिए वह मामले की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके, जिसे मामलों के बैच केस के साथ सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्त्ता की गलती नहीं है परन्तु यदि रिट याचिका को पुनःस्थापित नहीं किया जाता है, तो उसे अपूरणीय क्षति होगा।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पर आपत्ति नहीं करते हैं।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता के सबमिशन और आग्रहों के आधार पर, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–2835/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है। रिट याचिका में, बचे हुए त्रुटियों को आज से दो सप्ताह के भीतर दूर कर दिया जाना चाहिए।

सी0एम0पी0 का निपटान किया गया।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)